किशनलाल आदि बनाम अभिषेक

संख्या / वर्ष दावा : 109/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/7/18	पत्रावली पेश हुई वादी की अनुपस्थिति में उपस्थित प्रार्थी वादी की ओर से प्रार्थना पत्र O 23 रूल 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दावा वापस लेने का पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पर NO objection किया है। आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी / वादी को मुझ उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि वादी ने प्रतिवादीगण के नाम सम्मन तामील बाबत कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वाद को वापस लेना चाहते हैं। वादी तथा उपस्थित वादी की पहचान श्री रामनिवास चौ. एड. ने की है। प्रार्थी वादी द्वारा वाद को आगे नहीं चलाने पर वाद स्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली फिल हुआ। दर्ज रजिस्टर के आधार पर वापस लिया जाता है।	Ramniwas Advocate वादी Identified 12/7/18

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner